

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन (प्रपत्र-1)

1. आवेदक का नाम :-

2. पिता /पति का नाम :-

3. लिंग :- पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर

4. पूरा पता :- ग्राम / मुहल्ला :-

पंचायत :- थाना :- प्रखंड :-

अनुमंडल:- जिला :- डाकघर :-

पिन कोड :-

--	--	--	--	--	--



5. कोटि:- अनु0जाति / जनजाति/ पिछड़ा जाति/ अति पिछड़ा जाति /अल्पसंख्यक /सामान्य

6. आधार संख्या (अनिवार्य):-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(आवेदक के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

7. सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर:-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ई-मेल (यदि हो तो) :-

8. आवेदक का पहचान चिन्ह :-

9. आधार सीडेड बैंक खाता का विवरण (अनिवार्य) :-

(क) बैंक खाता संख्या :- (ख) आई एफ सी कोड :-

(ग) शाखा का नाम :-(घ)शाखा कोड:-

(नोट बैंक खाता आवेदक के नाम से होना चाहिए , संयुक्त खाता मान नहीं होगा ।)

10. आयु (यथा आधार कार्ड में अंकित) :-

11. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(i) मेरी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।

(ii) मुझे सरकारी सेवा का पेंशन या परिवारिक पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी योजनाअंतर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है।

(iii) मैं (नाम) जिला बिहार राज्य का निवासी हूँ।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपयुक्त विवरणी सही है । यदि कोई सूचना गलत/झूठा पाया जाए तो पेंशन के रूप में भुगतान की गई राशि राजस्व बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाए ।

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

सहमति पत्र - II

सेवा में ,

शाखा प्रबंधक ,

..... बैंक (बैंक का नाम)

शाखा

विषय :- मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या को आधार संख्या (UIDAI Number) से जोड़ने के संबंध में |

महाशय ,

मैं आपके बैंक में (शाखा का नाम

बैंक खाता संख्या - का धारक हूँ | मैं अपना आधार संख्या समर्पित करता हूँ , एवं स्वेच्छापूर्वक सहमति देता हूँ कि :-

- ★ UIDAI , भारत सरकार द्वारा निर्गत आधार /UID संख्या को मेरे नाम से संधारित उपयुक्त खाता संख्या के साथ जोड़ा जाय।
- ★ इसे NPCI (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) में दर्ज किया जाए , ताकि भारत सरकार द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (DBT) योजना के तहत लाभ मेरे उक्त खाते में प्राप्त हो सके | मैं समझता / समझती हूँ कि यदि एक से अधिक प्रकार के लाभ बकाया हो तो मैं उस लाभ को इसी खाते में प्राप्त करना चाहूंगा / चाहूंगी |
- ★ UIDAI द्वारा प्रदत्त आधार संख्या को मेरी पहचान को प्रमाणित करने में उपयोग किया जाए |
- ★ मेरे निम्न अंकित मोबाइल संख्या को SMS अलर्ट हेतु उपयोग में लाई जाए |

आधार के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार हैं :-

आधार / EID नंबर :-

आधार ग्राही का नाम (आधार कार्ड के अनुसार)

मैं समझता / समझती हूँ कि आधार संख्या के बारे में मेरे द्वारा जो उपयुक्त सूचना इसके साथ उपलब्ध कराई गई है , उसे उपयुक्त कार्य का कानूनी जरूरतों के अन्यथा उपयोग में नहीं लाया जायगा |

(खाताधारी का हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान)

नाम:- मोबाइल नंबर:-

ई-मेल:-

लग्नक आधार कार्ड का स्वभावप्रमाणित छायाप्रति |

.....

बैंक प्रयोग के लिए

आधार संख्या को बैंक खाता से जोड़ने की संपुष्टि :-

श्री / श्रीमती का

(बैंक)शाखा , मैं संधारित खाता संख्या

को आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या

से जोड़ दिया गया है |

तिथि :-

(बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी)

सहमति पत्र - I

में श्री / श्रीमती (नाम)

आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या

का धारक सहमत हूं कि समाज कल्याण विभाग , बिहार सरकार तथा अन्य विभागों द्वारा मेरे आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या का उपयोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में कर सकते हैं ।

हस्ताक्षर अंगूठे का निशान

तिथि :-

नाम :-

पता :-

पहचानकर्ता : -

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-